

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्या :- 4169 / चार- 2023
लखनऊ : दिनांक : 12/10/2023


अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या- 1077/चार-2023, लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की पुष्टि करते हैं :-

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल एकड/हेक्टे० में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	रामपुर बेला, पट्टी	रामपुर बेला का शिव मंदिर	926	0.1290 हेक्टेयर	उत्तर - गणेश आदि व गाटा संख्या 925 पूर्व - सदानन्द आदि व गाटा संख्या 927 पश्चिम - रामगोपाल आदि व गाटा संख्या 923 दक्षिण- दयानन्द आदि व गाटा संख्या 919
2	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	उदई शाहपुर पट्टी	अमरगढ़ का शिव मंदिर	1458	0.2280 हेक्टेयर	उत्तर - गाटा संख्या 1461 दक्षिण - गाटा संख्या 1457 पूर्व - गाटा संख्या 1459 पश्चिम - अमरगढ़-राजा बाजार मार्ग

आज्ञा से,



(राकेश चन्द्र शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या 4169 () / तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
- 5- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
- 7- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त विज्ञापित को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें।

आज्ञा से,


(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्कृति अनुभाग

संख्या - 1077 / चार - / 2023

लखनऊ :

दिनांक : 24.04.2023 126

लखनऊ
दिनांक: 21-5-23
काडल सं०: 111-14
क्रम सं०: 11
आयशी सं०: 11

प्रथम अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, राग 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा-प्रयोज्य एन्थिरोपेन्ट मान्यमैन्टरा प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या -7, 1904) की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करते हैं :-

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल एकड़/हेक्टे० में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	रामपुर बेला, पट्टी	रामपुर बेला का शिव मंदिर	926	0.1290 हेक्टेयर	उत्तर - गणेश आदि व गाटा संख्या 925 पूर्व - सदानन्द आदि व गाटा संख्या 927 पश्चिम - रामगोपाल आदि व गाटा संख्या 923 दक्षिण- दधानन्द आदि व गाटा संख्या 919
2	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	उदई शाहपुर पट्टी	अमरगढ़ का शिव मंदिर	1458	0.2280 हेक्टेयर	उत्तर - गाटा संख्या 1461 दक्षिण - गाटा संख्या 1457 पूर्व - गाटा संख्या 1459 पश्चिम - अमरगढ़ राजा बाजार मार्ग

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ० प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ० प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

श्री रस्तोगी

28.04.23

21.5.23

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव

श्री आनंद (स० सं०)

21/05/23

संख्या 1077/ (1) / तददिनांक। 24-4-2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को स्मारक पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाने एवं यदि कोई आपत्ति निर्धारित अवधि में प्राप्त होती है तो उसे शासन को प्रेषित करें।
- 4- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
- 5- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हों, तो अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेजने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
- 7- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त विज्ञापित को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें।

आज्ञा से,



(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव